न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 64/2022

पीठासीन अधिकारी –श्री सूरजभान विश्नोई, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 131,136 रा.भू.रा.अ.

अनवान प्रार्थीगण – 1. मूलाराम पुत्र रूपाराम 2.हनुमानराम 3.गजाराम 4.वागाराम पि.दमाराम 5.धाई पत्नि पदमाराम 6.चिमनाराम 7.रेखाराम पि. बांकाराम 8.राई पत्नि बांकाराम, जाति जाट, निवासी धारासर तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण – 1.तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण – प्रार्थीगण – श्री नरेश भादू
विप्रार्थीगण –

निर्णय

दिनांक :– 02.04.2024

प्रार्थीगण के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खातेदारी का खेत मौजा धारासर, पटवार क्षेत्र धारासर, तहसील चौहटन में खसरा सं. 836/474 रकबा 02.8814 हैक्टयर, खसरा सं. 837/134 रकबा 02.5576 हैक्टयर, खसरा सं. 952/474 रकबा 01.4407 हैक्टयर, खसरा सं. 134 रकबा 02.6952 हैक्टयर, खसरा सं. 794/474 रकबा 02.2015 हैक्टयर, खसरा सं. 840/474 रकबा 02.0720 हैक्टयर, 473 रकबा 00.0809, खसरा सं. 838/474 रकबा 01.6430 हैक्टयर, खसरा सं. 839/474 रकबा 05.3257 हैक्टयर का आया हुआ है। प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है तथा प्रार्थीगण की रहवासी ढाणियां, पशुबाड़े आदि बने हुए है [illegible] में राजस्व रेकर्ड ऑनलाईन हुआ तब राजस्व कर्मचारियों ने अपने पद का [illegible] करते हुए कब्जा काश्त व पुराना रेकर्ड नजरअन्दाज कर गलत तरमीम कर दी जिसकी वजह से प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा व रेकर्ड उल्ट पुल्ट हो गया, जिससे [illegible] पर भविष्य में विवाद होने की पूर्ण संभावना है तथा अब भी प्रार्थीगण को अपने राजस्व संबंधी समस्त कार्य करने काफी परेशानी आ रही है, इसलिए प्रार्थीगण वर्तमान कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व रेकर्ड में तरमीम शुद्धि कराना चाहते है जिस हेतु उक्त आवेदन तरमीम शुद्धि का पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.05.09 17:44:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन में वर्णित तरमीम दुरस्ती संबंधी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट मंगवाने हेतु निवेदन किया जिसे स्वीकार कर तहसीलदार चौहटन को लिखा गया। तहसीलदार चौहटन से तरमीम दुरस्ती संबंधी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई।

पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार चौहटन से तरमीम दुरस्ती संबंधी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार जो तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, उन्हें स्वीकार है उसी अनुसार आवेदन का निस्तारण किया जाता है तो उन्हें कोई आपति नहीं है।।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार की मौका फर्द का अवलोकन किया गया जिसमें तहसीलदार चौहटन उक्त वादग्रस्त आराजी के खसरा सं. 134, 473, 837/134 के मौका और नक्शा में कोई अन्तर नहीं है, इसलिए उक्त खसरो में कोई तरमीम दुरस्ती नहीं की जानी है, शेष खसरान की तरमीम सलंग्न नक्शा अनुसार तरमीम दुरस्त किया जाना प्रस्तावित किया गया।

अतः न्यायहित में प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 रा.भू.रा.अधिनियम का स्वीकार किया जाकर मौजा मौजा धारासर, पटवार क्षेत्र धारासर, तहसील चौहटन में खसरा सं. 836/474 रकबा 02.8814 हैक्टयर, खसरा सं. 837/134 रकबा 02.5576 हैक्टयर, खसरा सं. 952/474 रकबा 01.4407 हैक्टयर, खसरा सं. 134 रकबा 02.6952 हैक्टयर, खसरा सं. 794/474 रकबा 02.2015 हैक्टयर, खसरा सं. 840/474 रकबा 02.0720 हैक्टयर, 473 रकबा 00.0809, खसरा सं. 838/474 रकबा 01.6430 हैक्टयर, खसरा सं. 839/474 रकबा 05.3257 हैक्टयर की तरमीम तहसीलदार चौहटन से प्राप्त जांच रिपोर्ट मय सलंग्न नक्शा अनुसार दुरस्त की जाती है। तहसीलदार चौहटन से प्राप्त जांच रिपोर्ट मय सलंग्न नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 02.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.05.09 17:44:37 IST
Reason: SelfAttested

(सूरजभान विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन